

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

पीठासीन अधिकारी:—श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023

मु.नं.....13.0...../2023


क्रमांक:—वाद/2023/ 260

दिनांक:— 21/07/2023

आदेश

प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का चाडो की ढाणी व भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खारा महेचान तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 134 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:—

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खारा महेचान	134	जैसाराम पुत्र हनुमानराम विशनाराम पुत्र हनुमानराम	जैसाराम नैण पुत्र हनुमानराम विशनाराम चौधरी पुत्र हनुमानराम



(रामसिंह गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:—

क्रमांक:— वाद/2023/ 261-63
प्रतिलिपि:— 21-07-2023

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।
2. प्रार्थी श्री जैसाराम नैण पुत्र हनुमानराम वगेरहा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।




उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी